क्रम-संख्या-316(क–3)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0–डब्लू/एन0पी0–91/2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 29 अक्टूबर, 2010

कार्तिक 7, 1932 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग–1

संख्या-बी-1–3845/दस-2010-14(1)-2006

लखनऊ, 29 अक्टूबर, 2010

अधिसूचना

प०आ०–685

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2004) की धारा 7 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियमावली, 2006 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2010

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2010 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 6 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियमावली, 2006 के नियम 6 में–

(क) उपनियम (1) में खण्ड (झ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :–

(ञ) "प्रपत्र ख-10 में राज्य सरकार की आस्तियों का विवरण"

(ख) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
6(2) प्रपत्र ख–1, ख–2, ख–3, ख–4, ख–5, ख–6, ख–7, ख–8, ख–9 में विवरण जिस वर्ष के लिये बजट अनुमान राज्य विधान-मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाएं उससे पूर्ववर्ती दो वर्ष के सम्बन्ध में तैयार किये जायेंगे।	6(2) प्रपत्र ख–1, ख–2, ख–3, ख–4, ख–5, ख–6, ख–7, ख–8, ख–9 एवं ख–10 में विवरण जिस वर्ष के लिये बजट अनुमान राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाएं उससे पूर्ववर्ती दो वर्ष के सम्बन्ध में तैयार किये जायेंगे। प्रपत्र-ख-10

आज्ञा से,
अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव।

प्रपत्र : ख–10

(नियम 6 देखें)

आस्तियों का विवरण

(धनराशि लाख रुपयों में)

	रिपोर्टिंग वर्ष के प्रारम्भ में आस्तियाँ	रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियाँ	रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान उन्मोचित / विक्रय की गयी आस्तियाँ	रिपोर्टिंग वर्ष की समाप्ति पर आस्तियों का संचित योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)–(4)
(क) भौतिक आस्तियाँ :				
भूमि				
भवन				
कार्यालय				
आवासीय				
–सड़कें				
–सेतु				
–सिंचाई परियोजनायें				
–विद्युत परियोजनायें				
–अन्य पूंजी परियोजनायें				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)-(4)
-मशीनरी एवं उपस्कर -कार्यालय उपस्कर -वाहन				
योग : (क)				
(ख) वित्तीय आस्तियाँ :				
-अंशपूंजी विनियोजन -शेयर -बोनस शेयर -भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में निवेश -ट्रेजरी बिल्स में निवेश				
योग : (ख)				
(ग) ऋण एवं अग्रिम : -सार्वजनिक उद्यमों को ऋण -अन्य संस्थाओं / उपक्रमों को ऋण -सरकारी कर्मचारियों को ऋण -अन्य ऋण				
योग : (ग) :				
(घ) अन्य वित्तीय विनियोजन :				
योग : (घ) :				
महायोग : (क)(ख)(ग)(घ)				

टिप्पणी :-

1-रुपये 2 लाख मूल्य से अधिक की आस्तियों को ही रिकार्ड किया जाय।

2-इस प्रकटन विवरण में मंत्रिमण्डलीय सचिवालय एवं राज्य पुलिस संगठनों की आस्तियाँ सम्मिलित नहीं है।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. B-1–3845/X-2010-14(1)-2006, dated October 29, 2010:

No. B-1–3845/X-2010-14(1)-2006

Dated Lucknow, October 29, 2010

IN exercise of the powers under section 7 of the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004, (U.P. Act no. 5 of 2004), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Rules, 2006.

THE UTTAR PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (FIRST AMENDMENT) RULES, 2010

Short title and Commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (First Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of rule 6

2. In the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Rules, 2006, In rules 6

(a) in sub-rule (1) *after* clause (i) the following clause shall be *inserted*, namely:

"(j) statement of assets of the State Government in Form-B-10"

(b) *for* sub-rule (2) set out in Column-I below, the sub rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-I	COLUMN-II
Existing sub-rule	*Sub-rule as hereby substituted*
6(2) The statements in forms B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8 and B-9 shall be prepared in respect of the second year preceding the year for which the budget estimates are presented before the State Legislature.	6(2) The statements in Forms B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8 and B-9 and B-10 shall be prepared in respect of the second year preceding the year for which the budget estimates are presented before the State Legislature. Form B-10

By order,
ANOOP MISHRA,
Pramukh Sachiv.

Form B-10
(See rule 6*)*
STATEMENT OF ASSETS

(Amount in lakh Rupees)

	Assets at the beginning of the reporting year	Assets acquired during the reporting year	Assets liquidated/disposed of during the reporting year	Cumulative total of assets at the end of the reporting year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)-(4)
(A) Physical Assets : —Land —Building —Office —Residential —Roads —Bridges —Irrigation Projects —Power Projects —Other Capital Projects —Machinery & Equipment —Office Equipment —Vehicles				
Total : (A) :				
(B) Financial Assets : —Equity Investment —Shares —Bonus Shares —Investments in Government of India dated securities —Investments in Treasury Bills				
Total : (B)				
(C) Loans and Advances: —Loans to Public Enterprises —Loans to other institutions/ Undertakings —Loans to Govt. employees —Loans to others				
Total : (C) :				

(D) Other financial investments:				
Total : (D) :				
Total : (A)(B)(C)(D) :				

NOTES :-

1. Assets above the threshold value of Rupees two lakh only to be recorded.
2. This disclosure statement does not include assets of Cabinet Secretariat and State Police Organizations.

पी0एस0यू0पी–ए0पी0 758 राजपत्र(हि0)–2010–(1505)–599–(क0 / आ0) ।

पी0एस0यू0पी–ए0पी0 103 सा0 वित्त(हि0)–2010–(1506)–1000–(क0 / आ0) ।